



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 3 फरवरी, 2011 / 14 माघ, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला—171002, 10 जनवरी, 2011

संख्या: एफ.एफ.ई.बी ई(3)—16/05.—हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अर्थात् गार्ड खाना व बैरियर जंगल विभाग निर्माण हेतु गांव/उप महाल बड़सर, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट भूमि नहीं चाहिए।

2. अतः अब राज्यपाल हिमाचल प्रदेश भू—अर्जन अधिनियम—1894 की धारा 48 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या:एफ.एफ.ई.—बी—ई(3)—16/05 दिनांक 16—8—2007 एवं 27—8—2008, जिसके द्वारा गांव/उप महाल बड़सर, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के उक्त प्रयोजनार्थ भूमि अर्जन के लिए अधिसूचना जारी की गई है, में से निम्नलिखित भूमि की भूमि अर्जन कार्यवाही को प्रशासकीय कारणों से सहर्ष वापिस लेते हैं।

विवरण

जिला	तहसील उपमहाल	खसरा न०	क्षेत्र (वर्ग मीटर में)
हमीरपुर बड़सर	बड़सर	1587	0-04 मरला
		1	
		1	
	कित्ता	1	0-04 मरला

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव, वन।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला—171009, 2 फरवरी, 2011

संख्या पी०सी०एच०—एच०ए०(१) ७ / २००८—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग कि अधिसूचना संख्या पी०सी०एच०—एच०ए० (१) ३ / ९८, तारीख 10 अक्टूबर, 2002, द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 16 नवम्बर, 2002 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करती है और इन्हें जन साधारण की जानकारी के लिए राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है;

इन प्रारूप नियमों से संभाव्य प्रभावित होने वाला कोई हितबद्ध व्यक्ति यदि उक्त नियमों की बाबत कोई आक्षेप(पों) / सुझाव (वों) देना चाहे तो वह उसे (इन्हें) विशेष सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश, एस०डी०ए० कम्प्लैक्स, कुसुम्पटी, शिमला—171009, को उक्त प्रारूप नियमों के राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर भेज सकेगा;

उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप(पों) या सुझाव(वों), यदि कोई हो / हों, पर इन नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात्:—
प्रारूप नियम

प्रारूप नियम

- संक्षिप्त नाम**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) संशोधन नियम, 2010 है।
- नियम 10 का संशोधन**—हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “उक्त नियम” कहा गया है), के नियम 10 के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

”(2) अधिनियम की धारा 99 की उप-धारा (4) के उपबन्धों के अध्यधीन, सचिव या पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत का रोकड़िया (कैशियर) होगा, जो ग्राम पंचायत के लेखों से या में धन/संदायों का प्रत्याहरण या निष्केप करने को सक्षम होगा:

परन्तु सामग्री के क्रय के लिए प्रदायक को किए जाने वाले संदाय केवल क्रास-चैक द्वारा ही किए जाएंगे।”।

3. नियम 31 का संशोधन।—3. उक्त नियमों के नियम 31 के स्थान पर नम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:—

”31. पंचायतों द्वारा बनाए रखे जाने वाले रजिस्टर, अभिलेख, लेखा प्रणाली और प्ररूपः—ग्राम पंचायत का यथा स्थिति सचिव या पंचायत सहायक, या पंचायत समिति या जिला परिषद का सचिव, भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा विहित किए गए और समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रारूपों (फार्मेट) और संहिताओं (कोडज) के अनुसार सभी अभिलेखों, रजिस्टरों प्ररूपों और लेखों को बनाएगा।”।

4. परिशिष्ट ध का संशोधन।—उक्त नियमों से संलग्न परिशिष्ट ध में क्रम संख्या 1 और 2 के स्थान पर नम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“1. मूल संकर्म	(क)	ग्राम पंचायत द्वारा 1.50 लाख ₹ तक के मुल्य के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	ग्राम पंचायत	तकनीकी सहायक
	(ख)	ग्राम पंचायत द्वारा 1.50 लाख ₹ से अधिक और 5.00 लाख ₹ तक के मुल्य के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	ग्राम पंचायत	कनिष्ठ अभियन्ता
	(ग)	ग्राम पंचायत द्वारा 5.00 लाख ₹ से अधिक और 10.00 लाख ₹ तक के मुल्य के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	ग्राम पंचायत	सहायक अभियन्ता
	(घ)	ग्राम पंचायत द्वारा 10.00 लाख ₹ से अधिक के मुल्य के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	ग्राम पंचायत	अधिशासी अभियन्ता
	(ङ)	पंचायत समिति द्वारा 5.00 लाख ₹ तक के मुल्य के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	पंचायत समिति	कनिष्ठ अभियन्ता
	(च)	पंचायत समिति द्वारा 5.00 लाख ₹ से अधिक और 10.00 लाख ₹ तक के मुल्य के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	पंचायत समिति	सहायक अभियन्ता

	(छ)	पंचायत समिति द्वारा 10.00 लाख ₹ से अधिक के मुल्य के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	पंचायत समिति	अधिशासी अभियन्ता
	(ज)	जिला परिषद् द्वारा 10.00 लाख ₹ तक के मुल्य के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	जिला परिषद्	सहायक अभियन्ता
	(झ)	जिला परिषद् द्वारा 10.00 लाख ₹ से अधिक के मुल्य के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	जिला परिषद्	अधिशासी अभियन्ता
2. मरम्मत / रखरखाव	(क)	ग्राम पंचायत द्वारा 50,000 ₹ तक के मुल्य के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	ग्राम पंचायत	तकनीकी सहायक
	(ख)	ग्राम पंचायत द्वारा 50,000 ₹ से अधिक और 1.50 लाख ₹ तक के मुल्य के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	ग्राम पंचायत	कनिष्ठ अभियन्ता
	(ग)	ग्राम पंचायत द्वारा 1.50 लाख ₹ से अधिक और 3.00 लाख ₹ तक के मुल्य के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	ग्राम पंचायत	सहायक अभियन्ता
	(घ)	ग्राम पंचायत द्वारा 3.00 लाख ₹ से अधिक के मुल्य के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	ग्राम पंचायत	अधिशासी अभियन्ता
	(ङ)	पंचायत समिति द्वारा 1.50 लाख ₹ तक के मुल्य के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	पंचायत समिति	कनिष्ठ अभियन्ता
	(च)	पंचायत समिति द्वारा 1.50 लाख ₹ से अधिक और 3.00 लाख ₹ तक के मुल्य के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	पंचायत समिति	सहायक अभियन्ता
	(छ)	पंचायत समिति द्वारा 3.00 लाख ₹ से अधिक के मुल्य के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	पंचायत समिति	अधिशासी अभियन्ता
	(ज)	जिला परिषद् द्वारा 3.00 लाख ₹ तक के मुल्य के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	जिला परिषद्	सहायक अभियन्ता
	(झ)	जिला परिषद् द्वारा 3.00 लाख ₹ से अधिक के मुल्य के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	जिला परिषद्	अधिशासी अभियन्ता ।”।

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार

(Authoritative English text of this Department Notification No. PCH-HA(1)7/2008, dated 2nd February , 2010 as required under clause(3) of article 348 of the Constitution of India)

**Government of Himachal Pradesh,
Department of Panchayati Raj.**

NO. PCH-HA(1)7/2008

Dated Shimla-171 009, the 2nd February ,2011.

Notification

In exercise of the powers conferred by section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994(Act No. 4 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh, proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Finance, Budget, Accounts, Audit, Works, Taxation and Allowances) Rules, 2002, published in the Rajpatra Himachal Pradesh, (Extra-ordinary), dated the 16th November, 2002 vide this Department notification No. PCH-HA (1)3/98, dated 10th October, 2002, and the same are hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) for the information of the General public ;

If any interested person likely to be affected by the draft rules has any objection(s)/suggestion(s) with regard to the said rules, he may send the same to the Special Secretary(Panchayati Raj) to the Government of Himachal Pradesh, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171009, within a period of thirty days from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra, Himachal Pradesh;

The objection(s) or suggestion(s), if any, received within the period specified above shall be taken into consideration by the State Government before finalizing these rules, namely:-

DRAFT RULES

- | | |
|----------------------|---|
| Short title. | 1. These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Finance, Budget, Accounts, Audit, Works, Taxation and Allowances) Amendment Rules, 2010. |
| Amendment of rule 10 | 2. In rule 10 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Finance, Budget, Accounts, Audit, Works, Taxation and Allowances) Rules, 2002 (hereinafter called the "said rules"), for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:- |

"(2) Subject to the provisions of sub-section (4) of section 99 of the Act, the Secretary or Panchayat Sahayak shall be the cashier of the Gram Panchayat, who shall be competent to withdraw or deposit the money/payments from or in the accounts of the Gram Panchayat:

Provided that the payments to be made to the supplier for purchase of material shall be made by crossed cheques only.".

Amendment of 3. For rule 31 of the said rules, the following shall be substituted, namely:- rule 31.

"31. Registers, Records, Accounting system and forms to be maintained by the Panchayats: The Secretary or Panchayat Sahayak of the Gram Panchayat or Secretary of Panchayat Samiti or Zila Parishad, as the case may be, shall maintain all the records, registers, forms and accounts as per forms and codes prescribed by the Comptroller and Auditor General of India and notified by the State Government from time to time.

Amendment of 4. In Appendix-D appended to the said rules for serials number 1+2 the following Appendix-D. shall be substituted, namely :-

1. Original Works	(a) work costing upto ₹1.5 lac to be executed by Gram Panchayat	Gram Panchayat	Takniki Sahayak
	(b) work costing more than ₹1.5 lac and upto ₹5.00 lac to be executed by Gram Panchayat	Gram Panchayat	Junior Engineer
	(c) work costing more than ₹5.00 lac and upto ₹10.00 lac to be executed by Gram Panchayat	Gram Panchayat	Assistant Engineer
	(d) work costing more than ₹10.00 lac to be executed by Gram Panchayat	Gram Panchayat	Executive Engineer
	(e) work costing upto ₹5.00 lac to be executed by Panchayat Samiti	Panchayat Samiti	Junior Engineer
	(f) work costing more than ₹5.00 lac and upto ₹10.00 lac to be executed by Panchayat Samiti	Panchayat Samiti	Assistant Engineer
	(g) work costing more than ₹10.00 lac to be executed by Panchayat Samiti	Panchayat Samiti	Executive Engineer
	(h) work costing upto ₹10.00 lac to be executed by Zila Parishad	Zila Parishad	Assistant Engineer
	(i) work costing more than ₹10.00 lac to be executed by Zila Parishad	Zila Parishad	Executive Engineer
2. Repair/ Maintenance	(a) work costing upto ₹50,000 to be executed by Gram Panchayat	Gram Panchayat	Takniki Sahayak
	(b) work costing more than ₹50,000 and upto ₹1.5 lac to be executed by Gram Panchayat	Gram Panchayat	Junior Engineer
	(c) work costing more than ₹1.5 lac and upto ₹3.00 lac to be executed by Gram Panchayat	Gram Panchayat	Assistant Engineer
	(d) work costing more than ₹3.00 lac to be executed by Gram Panchayat	Gram Panchayat	Executive Engineer
	(e) work costing upto ₹1.5 lac to be executed by Panchayat Samiti	Panchayat Samiti	Junior Engineer

- (f) work costing more than ₹1.5 lac and upto ₹3.00 lac to be executed by Panchayat Samiti Panchayat Samiti Assistant Engineer
- (g) work costing more than ₹3.00 lac to be executed by Panchayat Samiti Panchayat Samiti Executive Engineer
- (h) work costing upto ₹3.00 lac to be executed by Zila Parishad Zila Parishad Assistant Engineer
- (i) work costing more than ₹3.00 lac to be executed by Zila Parishad Zila Parishad Executive Engineer."

**By Order
Secretary (Panchayati Raj) to the
Government of Himachal Pradesh.**

dk; kly; fuokpu vf/kdkjh

dñnh; Hkkjrh; fpfdRI k ifj "kn~fuokpu Cykjh u0 26] , I 0Mh0, OdEi yDI]
dl [i Vh] f'keyk&171009

vf/kl ipuk

f'keyk&171009] 2 Qjojh] 2011

I a; k dsfp-i -/fuokpu%&1@2011&2105&2136-&&e jkesoj 'kek] fuokpu vf/kdkjh]
dñnh; Hkkjrh; fpfdRI k ifj "kn~ vf/kfu; e]1970 %48 dk 1970% ds v/khu cuk; s dñnh; Hkkjrh; fpfdRI
k ifj "kn~fuokpu fu; e 1975 dh /kjk 7 ea i) r 'kfDr; ka dk i; kx djrs gq s fgekpy i ns k jkT; Is dñnh;
Hkkjrh; fpfdRI k ifj "kn} ubz fnYh ds fy; s vk; pfnd ,oa ; ukuh fpfdRI k if) r Is nks I nL; ka %, d
vk; pfnd ,oa ,d ; ukuh% ds fuokpu grwfuEufyf[r fuokpu dk; Øe vf/kl ipr djrk g%%&

Øekjh	dk; bde	fnukjh ,oa l e;
1-	r§ kj ernkrk I fp; ka dk i dk'ku	28-2-2011
2-	r§ kj ernkrk I fp; ka ds I anHkZ ea vki fr; kwnzl djuk A	1-3-2011 Is 7-3-2011 I k; a 4 ots rd
3-	vki fÜk; ka i j I quokbz A	10-30-2011 I k; a 4 ots rd
4-	vflre ernkrk I fp; ka dk i dk'ku	16-3-2011
5-	ftyk vk; pfnd dk; kly; ka dks ernkrkvks ds I pukFkZ ukfVI dk i dk.k	17-3-2011
6-	Ukekdu nkf[ky djus dh frffk; kW	25-3-2011 Is 28-3-2011 I k; 4 ots rd
7-	ukekdu i+k dh I oh{kk A	29-3-2011 I k; a 4 ots rd
8-	Ukekdu okfi I yus dh frffk; ka	30-30-2011 Is 5-4-2011
9-	oÙk : i Is ukekfdri vH; ffk; ka dh I ph dk i n'ku ,oa l jdkjh jkti = ea i dk'ku A	5-4-2011 I k; a 4 ots
10-	fuokpu I kekxh ds epz k grwvki f{kr I e; A	15-4-2011 rd %10 fnu%

11-	ernkrkvka dks eri =ka dk i f k.k A	16-4-2011 I s
12-	fuokpu vf/kdkjh }jkjk ernkrkvka I s eri =ka dh i kfkr A	15-5-2011 I k; a 3 ots rd
13-	eri =ka dh I dh{kk ,oaerx.kuk A	16-5-2011 i kr% 11 ots I s
14-	ifj.kke dh ?kks'k.kk A	Ifj.kke dh ?kks'k.kk erx.kuk ds rjUr ckn dh tk; xh A

निर्वाचन अधिकारी
केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् निर्वाचन
शिमला-171009.

Office of the Returning Officer

Indian Medicine Central Council Election Block No. 26, SDA Office Complex, Kasumti,
Shimla-171009

NOTIFICATION

Shimla-9, the 2nd Fevruary, 2011

NO. CCIM Election HP-1/011-2105-2136.—I, Rameshwar Sharma, Returning Officer for the election to the Central Council under the Indian Medicine Central Council Act, 1970(48 of 1970) and election rules framed there under Clause 7 of the Indian Medicine Central Council election Rules, 1975 do hereby frame and notify the election programme for the State of Himachal Pradesh to elect one member each for Ayurvedic & Unani Systems of Medicine to Indian Medicine Central Council, New Delhi as under:-

S.No.	Programme	Date & Time
1.	Publication of draft electoral rolls	28.2.2011
2.	Filling of objections against draft electoral rolls	1.3.2011 to 7.3.2011 till 4 p.m.
3.	Hearing of objections	10.3.2011 till 4 p.m.
4.	Publication of final electoral rolls	16.3.2011
5.	Notice for calling upon electors after final publication of electoral rolls to be sent to DAO's and Associations	17.3.2011
6.	Filing of the nomination papers by the candidates for contesting the election	25.3.2011 to 28.3.2011 before 3 p.m.
7.	Scrutiny of Nomination papers	29.3.2011 at 11 a.m.
8.	Withdrawal of Nomination papers by the candidates	5.4.2011 before 4 p.m.
9.	List of valid contesting candidates to be displayed as well as published in official Gazette.	5.4.2011 before 4 p.m.
10.	Time required for printing of the election material	10 days upto 15.4.2011
11.	Ballot paper dispatched to the Voters	16.4.2011 onwards
12.	To be receipt of Ballot papers by Returning Officer from the Voters	Upto 15.5.2011 before 3 p.m
13.	Scrutiny/Counting of Votes	16.5.2011 onwards
14.	Declaration of the result	Immediately after completion of counting.

Sd/-
Returning Officer,
Indian Medicine Central Council Election,
Shimla-171009.

ब अदालत श्री ओ० पी० ठाकुर, उपमण्डल मैजिस्ट्रेट, बड़सर, तहसील बड़सर,
जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री बावू राम, वासी न्यूहल, डा० कसवाड, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर,
हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान : दरख्खास्त बराये दर्ज करने जन्म तिथि।

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री बावू राम, वासी न्यूहल, डा० कसवाड, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर ने
आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि मेरे लड़के की जन्म तिथि 24-5-2010 है परन्तु पंचायत रिकार्ड में
दर्ज न है। पंचायत रिकार्ड में दर्ज की जावे।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी
को उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-2-2011 को सुबह 10.00 बजे
असालतन या वकालतन हाजर आकर पेश करे अन्यथा सम्बन्धित पंचायत को नाम दरुस्ती दर्ज करने का
आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 20-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

ओ० पी० ठाकुर,
उपमण्डल मैजिस्ट्रेट,
बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

न्यायालय सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी (नायब तहसीलदार) तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर,
हिमाचल प्रदेश

श्री बली राम पुत्र श्री नन्दू गांव बजरोल, हाल वासी जंगल बैरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर,
हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री बली राम पुत्र श्री नन्दू गांव बजरोल, हाल वासी जंगल बैरी ने दिनांक 29-7-2010 को इस
न्यायालय में एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसकी पत्नी विमला देवी की दिनांक
6-2-1979 को मृत्यु हो चुकी है। परन्तु अज्ञानतावश यह इसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत बजरोल के रिकार्ड
में दर्ज न करवा सके हैं। अब दर्ज करवाना चाहते हैं।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर उन्हें उपरोक्त श्रीमती
विमला देवी की मृत्यु को ग्राम पंचायत बजरोल में दर्ज करवाने बारे कोई आपति हो तो वह दिनांक
24-2-2011 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में उपरिथित आकर एतराज पेश कर
सकता है अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 24-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी (नायब तहसीलदार),
सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर,
हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री पूर्ण चन्द, रमेश चन्द पिसरान श्री जुगड़ा राम, टीका भडोला, मौजा भलेड, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री चन्द शेखर, केदार नाथ पुत्र श्री रिशीकेस, टीका सुजानपुर, मौजा भलेड, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश . . फरीकदोयम।

प्रार्थना—पत्र बराए तकसीम अराजी खाता नम्बर 281, खतौनी नं० 365, खसरा नम्बर 1421, रकबा ता० 1 कनाल 15 मरला, टीका सुजानपुर, मौजा भलेड, तहसील सुजानपुर।

श्री पूर्ण चन्द आदि ने उपरोक्त भूमि की तकसीम के लिए इस अदालत में एक प्रार्थना—पत्र दे रखा है। श्री केदार नाथ फरीकदोयम को इस अदालत द्वारा कई बार समन जारी किए गए मगर इन पर समन की तामील हस्य जाब्ता न हो रही है। मुताबिक रिपोर्ट तामील कुनिंदा यह कहीं दूसरी जगह रिहायश करते हैं। प्रार्थी का कहना है कि उसे उनका पता न मिल रहा है। इसलिए उसने गुजारिश की है कि इन्हें बजरिया इश्तहार राजपत्र द्वारा तलब किया जाए। इस कारण इस अदालत को भी विश्वास हो चुका है कि इस पर साधारण तरीके से समन की तामील नहीं हो सकती है। अतः उपरोक्त फरीकदोयम को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उसे उपरोक्त अराजी की तकसीम बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 23-2-2011 को सुबह 10.00 बजे मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 19-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE KANGRA AT DHARAMSHALA

NOTICE

Dharamshala, the 24th January, 2011

No. 49-54/L.B.....

Shri Sukhvinder Singh Randhawa Advocate son of Shri Nasib Singh Randhawa, r/o Village & P.O. Palera, Tehsil & District Kangra, H.P. has applied for the post of Notary Public at Sub Division Kangra. Before recommending the case of the applicant to the Government of H.P. for the

appointment as Notary Public, the objections of General Public if any are invited through this notice. If any person has objection for appointment of the applicant, he may send the objections in writing to this office on or before 04-02-2011.

Sd/-
Addl. District Magistrate,
Kangra at Dharamshala (H.P.).

ब अदालत श्री एच० सी० वर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बडोह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नम्बर :

तिथि पेशी : 5-2-2011

विषय.—राजस्व रिकार्ड मुहाल चन्द्रोट में खाना मलकीयत में पूर्व दर्ज नाम सुभाष चन्द के साथ गुरमुख सिंह उपनाम दर्ज करवाने हेतु आवेदन।

गुरमुख सिंह

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम : आम जनता महाल चन्द्रोट खास।

आदेश

श्री गुरमुख सिंह आवेदक ने एक आवेदन के माध्यम से इस अदालत से यह गुजारिश की है कि उसका नाम पंचायत व शिक्षा के रिकार्ड में गुरमुख सिंह दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड खाता नं० 28 महाल चन्द्रोट खास के खाना मलकीयत में सुभाष चन्द दर्ज है जो गलत है। इसे दरुस्त कर गुरमुख सिंह दर्ज करने का आदेश दिया जाए।

इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से हर खास व आम तथा सभी सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि आवेदक के पूर्व दर्ज नाम सुभाष चन्द के साथ उपनाम गुरमुख सिंह दर्ज करने में किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह तिथि पेशी 5-2-2011 समय 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश करें। गैर-हाजरी की सूरत में कार्रवाई जाब्ता अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 13-1-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

एच० सी० वर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बडोह,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री धर्म चौहान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती माया देवी पुत्री श्री तोखा राम, निवासी गांव व डा० चौवीन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती माया देवी पुत्री श्री तोखा राम, निवासी गांव व डा० चौबीन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसके पिता श्री तोखा राम की मृत्यु दिनांक 16–12–1985 को महाल चौबीन में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 15–2–2011 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 15–1–2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

धर्म चन्द चौहान,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री धर्म चन्द चौहान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री माधो राम पुत्र स्व० श्री Jhanphi Ram, निवासी गांव व डा० उस्तेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री माधो राम पुत्र श्री Jhanphi Ram, निवासी गांव व डा० उस्तेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसके पिता स्व० श्री Jhanphi Ram की मृत्यु दिनांक 8–11–1990 को महाल उस्तेहड़ में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27–2–2011 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 15–1–2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

धर्म चन्द चौहान,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री धर्म चन्द चौहान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० 9/NT/2009

उनवान तकसीम भूमि

1. श्री बलदेव राज पुत्र (2) मुलख राज पुत्र स्व० श्री मेघ नाथ, निवासी नौरी उपरली, मौजा नौरी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
प्रार्थीगण ।

बनाम

1. श्रीमती मकोड़ी देवी पत्नी स्व० श्री दुर्गा, 2. अशोक कुमार पुत्र श्री आत्मा राम, निवासीयान नौरी उपरली, मौजा नौरी, तहसील बैजनाथ .. प्रतिवादीगण ।

तकसीम बाबत भूमि खाता नम्बर 111, खतौनी नम्बर 257, खसरा नम्बर 1014 / 983, रकबा तादादी 0-32-33 है० स्थित महाल नौरी उपरली, मौजा नौरी, तहसील बैजनाथ ।

उपरोक्त मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है इसमें प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किए गए मगर साधारण तरीके से समनों की तामील नहीं हो पा रही है ।

अतः उक्त प्रतिवादीगणों को इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस केस के बारे कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-2-2011 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही की जाएगी ।

आज दिनांक 15-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ ।

मोहर ।

धर्म चन्द चौहान,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh

Case No. 01/2011

Date of Institution : 6-1-2011
Date of decision : Pending for 21-2-2011

Shri Rajinder Singh son of Gorkhia Ram, resident of Village Chiali, Post Office Darwa, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh .. *Applicant.*

Versus

General Public

.. *Respondent.*

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Shri Rajinder Singh son of Gorkhia Ram, resident of Village Chiali, Post Office Darwa, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved as application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other

documents that his son named Mr. Ritik Thakur born on 15-11-2009 at Village Chiali, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but his date of birth could not registered by the applicant in the Gram Panchayat's birth record, Darwa, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of birth of Mr. Ritik Thakur son of the applicant resident of Village Chiali, P. O. Darwa, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh may submit his objection in writing in this court on or before 21-2-2011 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court this 6th January, 2011.

Seal.

LALIT SHARMA,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती अंजू भारद्वाज

बनाम

आम जनता।

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती अंजू भारद्वाज पत्नी श्री राकेश भारद्वाज, निवासी बड़ैहर, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र आयुष भारद्वाज (Ayush Bhardwaj) का जन्म गांव बड़ैहर में दिनांक 18-3-2008 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-2-2011 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-1-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना,
हिमाचल प्रदेश

श्री सुखजीत सिंह

बनाम

आम जनता।

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सुखजीत सिंह पुत्र श्री बीर सिंह, निवासी देहलां, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरखास्त की है कि उसके पुत्र गुरदीप सिंह का जन्म गांव देहलां में दिनांक 20-1-1988 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-2-2011 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-1-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला—171002, 31 जनवरी, 2011

संख्या सिंचाई 11-22/2010—मण्डी।—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव साई/3, तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी में नलकूप व पम्प हाऊस साई के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्ज अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू—अर्जन हिमाचल प्रदेश लो निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू—अर्जन लो निर्माण विभाग मण्डी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	क्षेत्र वीघा/विस्वा/विस्वांसी
मण्डी	सुन्दरनगर	साई/3	1051/369/1	0- 05-12

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला—171002, 2 फरवरी, 2011

संख्या सिंचाई 11-21/2010-मण्डी।—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव भरजवाणू/9, तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी में नलकूप भरजवाणू जरल-II के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं	क्षेत्र वीघा/विस्वा/विस्वांसी
मण्डी	सुन्दरनगर	भरजवाणू/9	423/3/1	0-01-02

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव।

**GOVERNOR'S SECRETARIAT, HIMACHAL PRADESH
SHIMLA-171002**

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st January, 2011

No. 3-229/06-GS.—In partial modification of this Secretariat Notification of even Number dated 26-12-2005 conferred under section 5 (1) of the Right to Information Act, 2005 (Act No. 22 of 2005), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to designate the following Officer as Public Information Officer Governor's Secretariat Himachal Pradesh for citizens to secure access to information under the control of Public Authorities for promoting transparency and accountability in the working Governor's Secretariat, Himachal Pradesh with immediate effect :

Desigation	Complete Office Address	Office Tel No.
<u>Public Information Officer :</u> Section Officer	Governor's Secretariat, H. P. Shimla-2	0177-2624152

Sd/-

Secretary to Governor,
Himachal Pradesh.